

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ/प्रशा/प्रवेश/2022/6020


दिनांक 12/10/2022

// कार्यालयीन आदेश //

आर्यभट्ट छात्रावास में छात्रों द्वारा निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग करने पर छात्रों से पृथक से अतिरिक्त शुल्क लिया जावेगा। अतिरिक्त शुल्क की राशि छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में कैश काउन्टर पर जमा की जावेगी एवं उसकी जमा की जाने वाली राशि की रशीद की एक प्रति वार्डन को प्रस्तुत करनी होगी। अतिरिक्त शुल्क की दरें निम्न प्रकार से होंगी :-

क्रमांक	उपयोग की जानेवाली वस्तु का नाम	अतिरिक्त शुल्क की राशि
1	कूलर	250/- प्रति माह
2	कम्प्यूटर	100/- प्रति माह
3	म्यूजिक सिस्टम	75/- प्रति माह
4	पानी गर्म करने की रॉड	250/- प्रति माह
5	हीटर / हीट कनवेक्टर	1000/- प्रति माह

नोट :- बिना अनुमति के उपयोग करने पर उपरोक्त शुल्क के साथ क्र. 01 से 04 तक 100/- अर्थदण्ड तथा क्र. 05-06 पर 500/- रूपये अर्थदण्ड अतिरिक्त लिया जावेगा।



कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. वित्त नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. वार्डन आर्यभट्ट छात्रावास जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. श्री संजय बरथरिया प्रभारी आई.टी.सेल की ओर इस आशय के साथ प्रेषित है, कि वह वेबसाइट पर अपलोड करें।



सहा-कुलसचिव (प्रशा0)